IV ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति के अनुरूप ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए विशेष प्रयासों को जारी रखा है। 1,107 वित्तीय साक्षरता केंद्र की स्थापना के साथ-साथ स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को शामिल करके वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) का विस्तार किया गया है। डिजिटल वित्तीय सेवाओं की अवसंरचना को सुदृढ बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और कम लागत पर आसानी से प्रयोग योग्य वित्तीय उत्पादों की सूची को अधिक व्यापक बनाने में सहायता प्रदान करेगी। इन प्रयासों के सम्पूरक के रूप में उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत बनाया जा रहा है। रिज़र्व बैंक ने एक वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई- इंडेक्स) भी प्रारंभ किया है जो पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता से संबंधित प्रगति की निगरानी में सहायक होगा।

IV.1 रिज़र्व बैंक ने संपूर्ण देश के सभी वर्गों के लिए बैंकिंग सेवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि तथा सूक्ष्म और लघु उद्योग (एमएसई) क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए ऋण वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने के प्रयासों को जारी रखा है। ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान कई कदम उठाए गए।

IV.2 वर्ष 2021-22 के पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (07 अप्रैल 2021) के विकासात्मक और विनियामक वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार रिज़र्व बैंक ने देशभर में वित्तीय समावेशन का स्तर मापने और विस्तृत वित्तीय समावेशन संबंधी भविष्य के नीतिगत कदम निर्धारित करने के एक साधन के रूप में सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक[1] (एफआई-सूचकांक) तैयार किया है। यह सूचकांक सेवाओं की आसान पहुंच, उपलब्धता और उपयोग तथा सेवाओं की गुणवत्ता के प्रति अनुक्रियाशील है । एफआई-सूचकांक को बिना किसी 'आधार वर्ष' के बनाया गया है और इसलिए यह वित्तीय समावेशन के लिए सभी हितधारकों द्वारा विगत वर्षों में किए गए संचयी प्रयासों को दर्शाता है। मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए वार्षिक एफआई-सूचकांक मार्च 2017 को समाप्त अवधि के 43.4 की तुलना में 53.9 था जो इस दिशा में हुई प्रगति को दर्शाता है। एफआई-सूचकांक प्रतिवर्ष जुलाई माह में प्रकाशित किया जायेगा।

IV.3 वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई):2019-24 कवरेज की अवधि के दौरान वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए क्रियान्वित किए जाने वाले विभिन्न लक्ष्यों और कार्य-योजना को निर्धारित करती है। वर्ष के दौरान एनएसएफआई की मुख्य उपलब्धि पहाड़ी क्षेत्रों में 500 घरों वाले गांवों / टोलों तथा चिन्हित गावों में से 99.94 प्रतिशत के लिए बैंकिंग आउटलेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना रहा।

IV.4 वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) : 2020-25 का उद्देश्य पर्याप्त ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और आचरण विकसित करके देश के लोगों के सहयोग के माध्यम से वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत का विजन साकार करना है, जिसकी आवश्यकता अपने धन के बेहतर प्रबंधन और भविष्य के लिए योजना बनाने में होती है। कार्यनीति के दस्तावेज की सिफारिशों को राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श से लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हुई प्रगति की वित्तीय स्थिरता विकास परिषद उप-समिति (एफएसडीसी-एससी) द्वारा आवधिक निगरानी की जाती है। वर्ष के दौरान एनएसएफई के अंतर्गत मुख्य उपलब्धियों में अंतर-विनियामक समन्वय के अलावा एनसीएफई द्वारा बेसिक

[1] *'भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक लागू किया' विषय पर दिनांक 17 अगस्त 2021 की रिज़र्व बैंक की प्रैस विज्ञप्ति*

वित्तीय शिक्षण के लिए साक्षरता विषय-वस्तु विकसित करना, वित्तीय साक्षरता के प्रचार-प्रसार के लिए सामुदायिक भागीदारी और वित्तीय शिक्षण और जागरूकता के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है।

IV.5 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को तीन भागों में विभाजित किया गया है। वर्ष 2021-22 की कार्य-सूची के कार्यान्वयन की स्थिति को भाग 2 में दिया गया है। इसमें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रवाह का कार्य-निष्पादन और वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता से संबंधित गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2022-23 की कार्य योजना को भाग 3 में दिया गया है। अंत में, अध्याय का निष्कर्ष दिया गया है।

2. वर्ष 2021-22 की कार्य-सूची

IV.6 पिछले वर्ष विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- एनएसएफआई: 2019-24 के अंतर्गत लक्ष्यों का कार्यान्वयन (पैरा IV 7-IV.8)
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना (पैराग्राफ IV.9)
- देशभर के 3592 ब्लॉकों में 1,199 सीएफएल केंद्रों की स्थापना के माध्यम से सीएफएल परियोजना का विस्तार करना और पूरे देश में वित्तीय शिक्षा के स्तर को बढ़ाना (पैराग्राफ IV.10); और
- सीएफएल पर प्रायोगिक परियोजना की अंतिम कड़ी प्रभाव मूल्यांकन सर्वेक्षण को पूरा करना (IV.10 और IV.27)

कार्यान्वयन की स्थिति

IV.7 एनएसएफआई को वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को व्यापक और सुस्थिर बनाने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया गया था। एनएसएफआई विशेष समय-सीमा के साथ कार्य योजना और लक्ष्य निर्धारित करता है और इन्हें समग्र रूप से प्राप्त करने के लिए व्यापक सिफारिशों का सुझाव देता है जिसमें वर्ष 2021-22 के दौरान छह सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जाना था। सिफारिशें अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल इको-सिस्टम की सहायता के लिए आवश्यक अवसंरचना के निर्माण, ग्राहक शिकायत निपटान के लिए अंतर-विनियामक समन्वय को मजबूत बनाने के साथ ही प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के समुचित उपयोग और नवोन्मेषी दृष्टि के सृजन पर केंद्रित हैं।

IV.8 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) को संस्थागत बनाकर, डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) के शुभारंभ, डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम के विस्तार और सुदृढीकरण संबंधी प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन और संवर्धन तथा देशभर की सभी 2.5 लाख *ग्राम पंचायतों* को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की भारत सरकार की भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल(ओएफसी) बिछाकर इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। ग्राहकों की शिकायतों के संबंध में अंतर-विनियामक समन्वय हेतु सचेत पोर्टल शुरू किया गया जिसमें सभी संबंधित क्षेत्रों के विनियामकों और सरकार का प्रतिनिधित्व है और जो इस प्रकार के समन्वय के लिए एक कॉमन प्लेटफार्म प्रदान करता है। शिकायत समाधान को और अधिक प्रेरित करने के लिए सभी क्षेत्रों के विनियामकों ने टोल-फ्री नंबर प्रारंभ किए हैं।

IV.9 एमएसएमई संबंधी विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री यू.के. सिन्हा) ने 37 व्यापक सिफारिशें की थी। रिज़र्व बैंक से संबंधित 21 सिफारिशों में से 13 का कार्यान्वयन किया जा चुका है और छह को जांच के बाद कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया तथा दो रिज़र्व बैंक और सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष के दौरान लागू की गई दो प्रमुख सिफारिशों में (i*) दीनदयाल अंतोदय योजना*- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए गारंटी मुक्त ऋण की सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख करना (ii)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर) के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना रहा।

IV.10 सीएफएल परियोजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष के दौरान 80 ब्लॉकों में करवाए गए सीएफएल प्रायोगिक परियोजना अंतिम कड़ी सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों को पैरा IV.26 में शामिल किया गया है। मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, देशभर में कुल 1,107 सीएफएल स्थापित किए गए है जिसका विवरण बॉक्स IV.1 में दिया गया है।

मुख्य गतिविधियां

ऋण सुपुर्दगी

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र

IV. 11 31 मार्च 2022 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) 42.8 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 की तीन तिमाहियों में सभी बैंक समूहों ने पीएसएल के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था (सारणी IV.1)। यदि किसी बैंक द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य / उप लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई कमी रह जाती है तो उन्हें ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), सूक्ष्म ईकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अभिशासित अन्य निधियों में योगदान देने के लिए कहा जाता है।

सारणी IV.1 : प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2020-21	24,16,750 (41.06)	14,33,674 (40.62)	1,99,969 (41.02)
2021-22*	26,23,666 (42.45)	16,87,138 (43.27)	1,94,031 (42.28)

*: आंकड़े अनंतिम है

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्र जोखिम से इतर के समतुल्य ऋण (सीओबीई) जो भी अधिक हो, उसके प्रतिशत को दर्शाते हैं

स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र विवरणियां

IV.12 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) की कारोबारी मात्रा में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 25.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और वर्ष 2021-22 में यह 6.62 लाख करोड़ रही। चारों पीएसएलसी श्रेणियों में सबसे अधिक कारोबार पीएसएलसी-सामान्य और पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसान श्रेणी में देखा गया जिनके लेनदेन की मात्रा वर्ष 2021-22 में क्रमशः ₹2.70 लाख करोड़ और ₹2.29 लाख करोड़ रही।

बैंकों द्वारा एनबीएफसी को आगे उधार देने के लिए ऋण

IV.13 एनबीएफसी द्वारा पिरामिड के सबसे नीचले स्तर के क्षेत्रों जिनका निर्यात और रोजगार के मामले में बहुत योगदान रहता है, उनको ऋण सुविधा प्रदान करने में एनबीएफसी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए और एनबीएफसी की चलनिधि स्थिति के संवर्धन को ध्यान में रखते हुए बैंकों द्वारा एनबीएफसी को कृषि और एमएसई क्षेत्रों (सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के अलावा) को आगे उधार दिए जाने वाले ऋण को पीएसएल के रूप में वर्गीकृत करने की सुविधा को 31 मार्च 2022 तक आगे बढ़ा दिया गया।

लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा एनबीएफसी-एमएफआई को आगे ऋण देने के लिए पीएसएल-उधार

IV.14 महामारी की स्थिति को देखते हुए और छोटे एमएफआई की चलनिधि संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए एसएफबी द्वारा पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य एमएफआई (सोसायटी, न्यास इत्यादि) को प्रदान किए गए नए ऋणों को पीएसएल के अंतर्गत वर्गीकृत करने की अनुमति है बशर्ते कि ये संस्थान रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त स्व-विनियामक संगठन के सदस्य हों। यह लाभ केवल उन एमएफआई के लिए लागू है जिनका 31 मार्च 2021 को सकल ऋण पोर्टफोलियो ₹500 करोड़ तक हो। 31 मार्च 2022 तक आगे बढ़ाई गई इस योजना

सारणी IV.2 :कृषि ऋण के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वाणिज्यिक बैंक		ग्रामीण सहकारी बैंक		आरआरबी		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020-21	10,81,978	11,94,704	2,25,946	1,90,682	1,92,076	1,90,012	15,00,000	15,75,398
2021-22*	12,05,488	12,91,454	2,30,543	2,17,848	2,13,968	2,00,590	16,50,000	17,09,893

*: आंकड़े अनंतिम है

स्रोत: राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

के अंतर्गत एसएफबी को 31 मार्च 2021 तक उनके कुल पीएसएल पोर्टफोलियो के 10 प्रतिशत तक ही उधार देने की अनुमति है।

पीएसएल – परक्राम्य वेयरहाउस रसीद (एनडब्लयूआर) / इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य वेयरहाउस रसीद (ई-एनडब्लयूआर) पर बैंक उधार की सीमा में वृद्धि

IV.15 कृषि उत्पादों के रहन / दृष्टिबंधन पर किसानों को मिलने वाले ऋण के प्रवाह में बढोतरी सुनिश्चित करने और वेयरहाउस विकास एवं विनियामक प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत और विनियमित वेयरहाउसों द्वारा जारी एनडब्लयूआर/ई-एनडब्लयूआर के प्रयोग को बढावा देने के लिए एनडब्लयूआर/ई-एनडब्लयूआर पर मिलने वाले पीएसएल ऋण की सीमा को ₹50 लाख से बढाकर ₹75 लाख प्रति उधारकर्ता कर दिया गया है।

कृषि को ऋण प्रवाह

IV.16 भारत सरकार प्रतिवर्ष एससीबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए कृषि ऋण संबंधी लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹16.5 लाख करोड़ के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में बैंकों ने 31 मार्च 2022 तक 104 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया (₹17.09 लाख करोड़) जिसमें एससीबी, आरआरबी और ग्रामीण सहकारी बैंकों ने क्रमशः अपने लक्ष्य का 107 प्रतिशत, 93.7 प्रतिशत और 94.5 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। (सारणी IV.2)

IV.17 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) किसानों को कृषि एवं खपत, निवेश और बीमा सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए एकल विंडों के तहत पर्याप्त और समय पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाता है (सारणी IV.3)

प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत उपाय

IV.18 वर्तमान में, भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क के अंतर्गत 12 प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं नामतः चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन. हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला और शीत

सारणी : IV.3: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

(संख्या लाख में, राशि करोड़ ₹ में)

वित्तीय वर्ष	क्रियाशील केसीसी की संख्या	बकाया फसल ऋण	बकाया मीयादी ऋण	पशुपालन एवं मछली पालन के लिए बकाया ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6
2020-21	306.96	4,13,903	36,161	6,673	4,56,736
2021-22*	268.71#	4,33,413	29,309	13,561	4,76,283

*: आंकड़े अनंतिम है

#: क्रियाशील केसीसी खातों की संख्या में अनर्जक आस्ति (एनपीए) खाते शामिल नहीं है। चूंकि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान एनपीए खातों की संख्या में वृद्धि हुई है इसलिए क्रियाशील केसीसी की संख्या में कमी आई है।

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और लघु वित्त बैंक।

सारणी IV.4: राष्ट्रीय आपदाओं के लिए राहत उपाय

(संख्या लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	पुनर्रचित / पुनर्निर्धारित ऋण		प्रदत्त नया वित्त / पुनर्वित्त	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
2020-21	1.58	2,486	11.77	18,377
2021-22*	0.26	6,500	0.10	12,758

*: आंकड़े अनंतिम है

स्रोत: राज्य स्तरीय बैंकर समितियां (एसएलबीसी)

लहर / पाला गिरना को शामिल किया गया है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को इन आपदाओं से प्रभावित उन क्षेत्रों में राहत प्रदान करने का निदेश दिया है जहां फसलों को 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान हुआ हो। बैंकों द्वारा प्रदान किए गए उपायों में *अन्य बातों के साथ-साथ* मौजूदा ऋण की पुनर्संचरना / पुनर्निर्धारण और पात्र उधारकर्ताओं को उनकी आने वाली आवश्यकताओं के अनुसार नए ऋण प्रदान करना शामिल है। वर्ष 2021-22 के दौरान तीन राज्यों नामतः महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान द्वारा प्राकृतिक आपदा घोषित की गई, जहां नए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता और ऋण पुनर्संरचना के माध्यम से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान की गई। (सारणी IV.4)

एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करना

IV.19 एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाना रिज़र्व बैंक और सरकार की नीतिगत प्राथमिकता है । सालाना आधार पर एससीबी द्वारा एमएसएमई को दिये गए ऋण का बकाया मार्च 2022 में 13.4 प्रतिशत बढ़ा है (एक वर्ष पहले यह 10.6 प्रतिशत था) (सारणी IV.5)

वित्तीय समावेशन

अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व सौंपना

IV.20 रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्येक जिले में एक निर्दिष्ट बैंक को अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है। 31 मार्च 2022 के अंत तक, 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक निजी क्षेत्र के बैंक को देशभर के 734 जिलों में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

प्रत्येक गांव में वित्तीय सेवाओं तक सभी की पहुंच

IV.21 प्रत्येक गांव के पांच किलोमीटर के दायरे में / पहाड़ी क्षेत्रों में 500 घरों के टोलों (हैमलेट) में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना एनएसएफआई: 2019-24 का एक प्रमुख उद्देश्य है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 25 राज्यों और 7 केंद्र-शासित प्रदेशों में इस लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त किया जा चुका है और देशभर के चिन्हित गांवों / टोलों के 99.94 प्रतिशत को यह सुविधा प्रदान की चुकी है। बकाया गांवों / टोलों के संबंध में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्तीय समावेशन योजना

IV.22 सुस्थिर तरीके से वित्तीय समावेशन के स्तर में वृद्धि हेतु सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंकों को वित्तीय

सारणी IV.5: एमएसएमई को बैंक ऋण

(संख्या लाख में; राशि करोड़ ₹ में)

वर्ष	सूक्ष्म उद्योग		लघु उद्योग		मध्यम उद्योग		एमएसएमई	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020-21	387.93	8,21,027.77	27.82	6,62,998.50	4.44	2,99,898.53	420.19	17,83,924.80
2021-22*	239.81	8,87,800.05	22.07	7,25,822.77	3.23	4,09,011.46	265.10#	20,22,634.29

*: आंकड़े अनंतिम है

#: खातों की संख्या में कमी एमएसएमई के पुनर्वर्गीकरण और नई परिभाषा के अंतर्गत *उद्यम* पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण के कारण आई है

स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की विवरणियां

समावेशन योजना (एफपीआई) बनाने का निदेश दिया गया था। इन एफपीआई के विभिन्न मानदंडों जैसे कि बैंकिंग आउटलेट की संख्या (शाखाएं और कारोबारी संवाददाता (बीसी)), बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए), इन खातों में ली गई ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं, केसीसी और सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) खातों में लेनदेन और कारोबारी संवाददाताओं माध्यम से लेनदेन – सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (बीसी-आईसीटी) चैनल के आधार पर बैंकों की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। इन मानदंड़ों के संबंध में दिसंबर 2021 तक हुई प्रगति को सारणी IV.6 में दिया गया है।

वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक)

IV.23 देशभर में वित्तीय समावेशन के स्तर का पता लगाने के लिए रिज़र्व बैंक ने तीन उप-सूचकांकों अर्थात् , एफआई-पहुंच, एफआई-उपयोग और एफआई-गुणवत्ता के साथ एक सम्मिश्र एफआई-सूचकांक तैयार किया है जिसमें सरकार और संबंधित क्षेत्र के विनियामकों के साथ परामर्श से बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ-साथ पेन्शन क्षेत्र का विवरण भी शामिल किया गया है। मार्च 2021 के अंत में, परिकलित एफआई-सूचकांक मार्च 2017 के अंत के 43.4 की तुलना में 53.9 था जिसमें 5.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई है। तीन उप-सूचकांकों में से पहुंच संबंधी सूचकांक इसी अवधि में 61.7 से बढ़कर 73.3 हो गया है, हालांकि उपयोग और गुणवत्ता के लिए उप-सूचकांक में क्रमशः 30.8 से 43.0 और 48.5 से 50.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है परन्तु ये समग्र एफआई-सूचकांक से नीचे बने हुए है। सूचकांक मूल्य वित्तीय समावेशन के उपयोग और गुणवत्ता पहलुओं में सुधार की गुंजाइश को दर्शाता है।

सारणी IV.6 : वित्तीय समावेशन योजना: प्रगति रिपोर्ट

विवरण	मार्च 2010	दिसं 2020	दिसं 2021$
1	2	3	4
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स – शाखाएं	33,378	55,073	53,249
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स> 2000-बीसी	8,390	8,49,955	15,18,496^
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स < 2000-बीसी	25,784	3,44,685	3,26,236
गांवों में कुल आउटलेट्स –बीसी	34,174	11,94,640	18,44,732^
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स –अन्य माध्यम	142	3,464	2,542
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स – कुल	**67,694**	**12,53,177**	**19,00,523**
बीसी के माध्यम से समावेशित शहरी क्षेत्र	447	3,24,507	14,12,529^
बीसीएसबीडीए –शाखाओं के माध्यम से (संख्या लाख में)	600	2,712	2,712
बीसीएसबीडीए –शाखाओं के माध्यम से (राशि करोड़ में)	4,400	1,21,219	1,18,625
बीसीएसबीडीए –बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में)	130	3,672	3,919
बीसीएसबीडीए –बीसी के माध्यम से (राशि करोड़ में)	1,100	78,284	95,021
बीसीएसबीडीए- कुल (संख्या लाख में)	**735**	**6,384**	**6,631**
बीसीएसबीडीए – कुल (राशि करोड़ में)	**5,500**	**1,99,503**	**2,13,646**
बीसीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (संख्या लाख में)	2	59	64
बीसीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (राशि करोड़ में)	10	505	556
केसीसी – कुल (संख्या लाख में)	240	490	473
केसीसी – कुल (राशि करोड़ में)	1,24,000	6,79,064	6,93,596
जीसीसी – कुल (संख्या लाख में)	10	198	87
जीसीसी – कुल (संख्या लाख में)	3,500	1,75,053	1,99,145
आईसीटी-ए/सी-बीसी – कुल लेनदेन (संख्या लाख में)#	270	23,289	21,095
आईसीटी-ए/सी-बीसी – कुल लेनदेन (राशि करोड़ में)#	700	6,14,987	6,62,211

*: गांवों की जनसंख्या #: वर्ष के दौरान लेनदेन.

$: अनंतिम आंकड़े.

^: कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में अत्याधिक वृद्धि हुई हैं।

स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफआईपी विवरणियां.

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करना

IV.24 स्कूली छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता विषय-वस्तु विकसित करना एनएसएफई: 2020-25 के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। कक्षा VI-X तक की वित्तीय शिक्षा कार्य-पुस्तिका के लिए विषय-वस्तु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम), एनसीएफई और

वित्तीय क्षेत्र के सभी चार विनियामकों[2] के साथ परामर्श से तैयार की गई। अभी तक 19 राज्य शैक्षणिक बोर्डों ने वित्तीय शिक्षा संबंधी मॉड्यूल को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल / आंशिक रूप से शामिल कर लिया है। एनसीएफई द्वारा रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय से शेष राज्य शैक्षणिक बोर्डों को भी शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) द्वारा संचालित गतिविधियां

IV.25 दिसंबर 2021 को समाप्त अवधि को देश में 1,495 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी)[3] थे। वर्ष 2021-22 (31 दिसंबर 2021 तक) के दौरान एफएलसी द्वारा 73,900 वित्तीय साक्षरता संबंधी गतिविधियां आयोजित की गई। महामारी के दौरान भी संपूर्ण देश में वित्तीय शिक्षा का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों ने वर्चुअल मोड से वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और वित्तीय जागरूकता संदेशों को प्रसारित करने के लिए स्थानीय केबल नेटवर्क और रेडियो कम्युनिटी की सेवाओं का उपयोग भी किया।

सीएफएल प्रायोगिक परियोजना का अंतिम-कड़ी सर्वेक्षण

IV.26 सीएफएल प्रायोगिक परियोजना अंतिम कड़ी सर्वेक्षण 80 खंडों में किया गया जिससे इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सकें। इसका मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार है:

- जिन परिवारों को कार्यक्रम में भाग लिया था उनका वित्तीय साक्षरता स्कोर ऐसे परिवारों की तुलना में सांख्यिकीय रूप से उच्चतर था जिन्होंने कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था।
- ऐसे प्रत्यर्थियों के बैंकों में बचत खाता उपयोग करने की संभावना अधिक थी जिन्होंने सीएफएल कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों में किसी प्रकार से भाग लिया था; यह प्रभाव उन व्यक्तियों में अधिक देखा गया जिन्होंने सीएफएल कार्यक्रम में भाग लिया था (अर्थात् जिनका 'सक्रिय' एक्सपोजर था)
- परिवारों को मुख्यतः उन पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण की आवश्यकता थी जिसे 'पहले स्तर' का संव्यवहार माना जा सकें जैसे खाता खोलना, फार्म जमा करवाना, बैंक सेवाओं और सरकारी कार्यक्रमों और वित्तीय योजना तक पहुंच। इसकी तुलना में स्वचालित टैलर मशीन (एटीएम), ऑनलाइन लेनदेन, निवेश की समझ इत्यादि के बारे में केवल कुछ ही लोगों ने प्रशिक्षण की इच्छा व्यक्त की।

देशभर में सीएफएल परियोजना की पहुंच बढाना

IV.27 प्रायोगिक सीएफल परियोजना को 100 ब्लॉकों में लागू करने के बाद (20 सीएफएल जनजातीय ब्लॉकों सहित) चरणबद्ध तरीके से देश के सभी ब्लॉकों में सीएफएल का विस्तार करने के लिए वर्ष के दौरान कई कदम उठाए गए। (बॉक्स IV.1)

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन

IV.28 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्लयू) रिज़र्व बैंक की एक पहल है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष इस सप्ताह के दौरान एक सघन अभियान के माध्यम से मुख्य विषयों पर आम जनता के बीच जागरूकता बढाई जाती है। वर्ष 2021-22 में एफएलडब्लयू 'डिजिटल अपनाये, सुरक्षित रहे' थीम के साथ 14 फरवरी से 18 फरवरी 2022 के दौरान मनाया गया जिसे डिजिटल लेनदेन की

[2] *इन कार्य-पुस्तिकाओं को एनसीएफई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है*

[3] *एफएलसी, बैंक द्वारा स्थापित किए गए है और उनका प्रबंधन वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है। सीएफएल परियोजना जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता को मजबूत बनाने के लिए नवोन्मेषी और सामुदायिक नेतृत्व से प्रतिभागिता दृष्टिकोण के साथ रिज़र्व बैंक का गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और बैंकों को साथ लाने का प्रयास है। सीएफएल परियोजना 2017 में प्रारंभ की गई थी (कृपया बॉक्स संख्या IV.1 देखें)। एक सघन प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त अनुभव के आधार पर सीएफएल परियोजना का पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है।*

बॉक्स IV.1

देशभर में सीएफएल परियोजना की पहुंच का विस्तार करना

वित्तीय साक्षरता पर सीएफएल प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ रिज़र्व बैंक द्वारा नौ राज्यों के 80 ब्लॉकों में वर्ष 2017 में आठ प्रायोजक बैंकों और छह एनजीओं के साथ सहयोग से तीन वर्षो की अवधि के लिए किया गया था जिसके लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) और संबंधित प्रायोजक बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। इसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता के लिए सामुदायिक नेतृत्व के नवोन्मेषी और सहभागी दृष्ठिकोण को अपनाया जाना था। जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए) और प्रायोजक बैंकों से प्राप्त निधीयन के साथ इस परियोजना का विस्तार वर्ष 2019 में तीन राज्यों के 20 जनजातीय और / आर्थिक रूप से पिछड़े खंडों में भी किया गया।

प्रायोगिक परियोजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर और विभिन्न हितधारकों (बैंकों एवं एनजीओ) से प्राप्त फीडबैंक द्वारा और एनएसएफआई: 2019-24 के अनुरूप जमीनी स्तर पर सुस्थिर और सहभागिता से वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने के लिए इस परियोजना को 2024 तक पूरे देश को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से अखिल भारतीय स्तर पर प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें प्रत्येक सीएफएल के अंतर्गत तीन ब्लॉक होंगे । प्रथम चरण के अंतर्गत वर्धित सीएफएल परियोजना को लागू करने के लिए डीईएफ, एफआईएफ और 13 प्रायोजक बैंकों से प्राप्त वित्तीय सहायता के साथ 10 एनजीओ का सहयोग लिया गया है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में 1, 107 सीएफएल कार्य कर रहे थे।

स्रोत : आरबीआई

आसानी, डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के संरक्षण पर केंद्रित किया गया था। सप्ताह के दौरान, बैंकों को अपने ग्राहकों और आम जनता के बीच सूचना के प्रचार-प्रसार और जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने आम जनता में थीम से संबंधित आवश्यक वित्तीय जागरूकता संदेशों के प्रचार के लिए फरवरी 2022 के दौरान केंद्रीकृत मास मीडिया अभियान भी चलाया।

3. वर्ष 2022-23 के लिए कार्य-सूची

IV.28 विभाग बेहतर वित्तीय साक्षरता और ऋण वितरण हासिल करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा:

- आउटरीच को सुदृढ़ बनाने के लिए नवोन्मेषी उपायों को अपनाकर वित्तीय सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से फिनटेक के क्षेत्र में हुए विकास के प्रयोग से एनएसएफआई :2019-24 के अंतर्गत लक्ष्यों का कार्यान्वयन (*उत्कर्ष*);
- वित्तीय शिक्षा के प्रसार में शामिल मध्यवर्तियों के क्षमता विकास के माध्यम से एनएसएफई : 2020-25 के अंतर्गत लक्ष्यों का कार्यान्वयन; और
- संपूर्ण देश को कवर करने के लिए सीएफएल का संवर्धन (*उत्कर्ष*)।

4. निष्कर्ष

IV.30 संक्षेप में, वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने पूरे देश में सीएफएल परियोजना के विस्तार और संबंधित हितधारकों के साथ बेहतर समन्वय से एनएसएफआई के लक्ष्यों को लागू करते हुए वित्तीय समावेशन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित रखा। वित्तीय समावेशन की प्रगति जानने के लिए एफआई-सूचकांक को एक मैट्रिक्स के रूप मे विकसित किया गया। भविष्य में, एनएसएफआई और एनएसएफई के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों के कार्यान्वयन द्वारा वित्तीय समावेशन के प्रयासों को लगातार जारी रखा जायेगा।